राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	अधिवक्तागण
1.	1325/2025	राजेश कुमार मीणा	संयुक्त शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य	श्री सलीम खान
2.	2129/2025	राजेश कुमार मीणा	संयुक्त शासन सचिव–।, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य	श्री सलीम खान

आदेश की दिनांक : 09.04.2025

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, अति. राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपील संख्या–1325/2025 में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी ने पूर्व में अधिकरण के समक्ष अपील संख्या–1104/2024 प्रस्तुत की थी, जिसमें अधिकरण ने आदेश दिनांक 19.03.2024 स्थगन आदेश पारित किया था और स्थगन आदेश जारी रहते हुए अपीलार्थी का पुनः स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 द्वारा अधिशाषी अभियंता (ग्रामीण अभिरूप–2) कार्यालय मुख्य अभियंता (ग्रामीण), जयपुर से अधिशाषी अभियंता खण्ड, दौसा में किया गया। अपीलार्थी ने यह भी तथ्य अंकित किया था कि आदेश दिनांक 15.01.2025 में अपीलार्थी का पदस्थापन स्थान गलत अंकित किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी की माता कैंसर रोग से पीडित है, जिनका निरन्तर ईलाज चल रहा है। इस अधिकरण द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 19.02.2025 पारित कर आदेश दिनांक 15.01.2025 की क्रियान्विति स्थगित रखी थी एवं यह आदेश दिये गये थे कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावे जहां वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या–2129/2025 में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपील संख्या–1325/2025 में स्थानान्तरण आदेश पर स्थगन आदेश पारित किये जाने के बाद भी अपीलार्थी को उसके वर्तमान पद का डीडीओ का चार्ज नहीं दिया गया है। प्रत्यर्थी संख्या–4 रामजीत मीणा द्वारा कार्यग्रहण कर लिया गया था और डीडीओ पद का समस्त चार्ज निजी प्रत्यर्थी को दे दिया गया है। अतः अपीलार्थी को अपने पद का कार्य निर्वहन करने के आदेश नहीं दिये जा

रहे हैं। इस अपील में अपीलार्थी ने यह प्रार्थना की है कि अपीलार्थी को अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ग्रामीण खण्ड–2, एनसीआर, अलवर में आहरण वितरण का कार्य करने दिया जाए।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी रामजीत मीणा ने अपीलार्थी के पक्ष में पारित स्थगन आदेश जारी होने से पूर्व ही कार्यभार ग्रहण कर लिया था। ऐसे में समस्त कार्यभार रामजीत मीणा के पास है, जो उन्हें नियमानुसार दिया गया है।
4. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया।
5. अपील संख्या–1325/2025 में हम पाते हैं कि अपीलार्थी के सम्बन्ध में जो स्थानान्तरण आदेश पारित किया गया था, उसमें अपीलार्थी का वर्तमान पदस्थापन स्थान गलत दर्शाया गया था और अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा था कि अपीलार्थी की माता कैंसर रोग से पीडित है। ऐसे में उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 19.02.2025 जारी किया गया है। वर्तमान में अधिकरण के समक्ष यह तथ्य प्रकट हुआ है कि अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ग्रामीण खण्ड–2, एनसीआर, अलवर के पद पर अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी रामजीत मीणा दोनों की कार्यरत हैं। चूंकि अपीलार्थी के पक्ष में अधिकरण द्वारा स्थगन आदेश पारित कर अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखे जाने के आदेश दिये गये थे, जहां वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था, ऐसे में यह आवश्यक था कि अपीलार्थी को वो समस्त चार्ज प्रदान किया जाता, जो उसके पास पूर्व में थे। अपीलार्थी को उसके कार्य का निर्वहन नहीं करने दिया जाना उचित नहीं है।
6. उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए दोनों अपीलों का निस्तारण इस आदेश के साथ किया जाता है कि एक ही पद पर दो व्यक्तियों का पदस्थापन हो जाने की स्थिति का निवारण करने के लिये प्रत्यर्थी विभाग नये सिरे से प्रशासनिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए एवं समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आदेश पारित करने के लिये स्वतंत्र रहेगा। अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी दोनों ही अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र रहेगें। प्रत्यर्थी विभाग इस आदेश के पारित होने के चार सप्ताह की अवधि में स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश पारित करेगा। चूंकि अपीलार्थी/निजी प्रत्यर्थी के सम्बन्ध में दिनांक 15.01.2025 को ही स्थानान्तरण आदेश पारित किया जा चुका था। अतः पदस्थापन/स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। नवीन आदेश पारित किये

जाने तक अपीलार्थी को वो समस्त कार्यभार सौंपा जाए, जो उसे रामजीत मीणा के कार्यग्रहण किये जाने से पूर्व प्राप्त थे।

7. उपरोक्त आदेश के साथ दोनों अपीलों का निस्तारण किया जाता है।
8. मूल आदेश अपील संख्या 1325/2025 में सलंग्न किया जाये एवं आदेश की फोटोप्रति अन्य अपील में सलंग्न की जाये।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)